भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 200

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी निधियां

†200. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को कई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी निधियों के प्रवाह को रोकने के लिए निदेश दिए हैं;
(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विदेशों से निधियां प्राप्त कर रहे कई गैर-सरकारी संगठन सरकार के साथ पंजीकृत भी नहीं हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, विशिष्ट विदेशी दाता के विरुद्ध प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंकों को समय-समय पर ऐसे दाता से प्राप्तकर्ता के खाते में निधियां डालने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेने का परामर्श दिया जाता है। अब तक 14 विदेशी दाताओं को पूर्व अनुमति की श्रेणी में रखा गया है।

(ग) और (घ): विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के अनुसार, गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अभिदाय की प्राप्ति के संबंध में पंजीकरण कराने अथवा पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है। जब कभी बिना पंजीकरण/पूर्व अनुमति के विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, तो एफसीआरए के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए संगठन के रिकॉर्डों तथा लेखे की जांच की जाती है। जांच के आधार पर, बगैर पंजीकरण/पूर्व अनुमति के विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा उपयोग संबंधी अपराध का प्रशमन करने और/अथवा अतिरिक्त छानबीन तथा अभियोजन के लिए मामलों को सीबीआई/संबंधित राज्य पुलिस को मामले भेजने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जिसमें जुर्माना लगाना शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे 26 संगठनों के लेखे और रिकॉर्डों की जांच की गई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

*****